विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार

भारत सरकार द्वारा विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित

इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं:

विद्युत कनेक्शन हेतु अधिकतम समय-सीमा निर्धारित

- महानगर - 7 दिन
- नगर पालिका क्षेत्र - 15 दिन
- ग्रामीण क्षेत्र - 30 दिन
- देरी होने पर ₹1,000 प्रतिदिन तक की क्षतिपूर्ति

24x7 विद्युत आपूर्ति

- कटौती / ट्रिपिंग की अधिकतम सीमा आयोग द्वारा निर्धारित
- अधिक कटौती होने पर क्षतिपूर्ति

प्रोज्यूमर के अधिकार

- रूफ टॉप सोलर (पी वी) प्रणाली सहित ग्रीन ऊर्जा उत्पादन यूनिट की स्थापना करने का अधिकार
- समस्त प्रक्रियाओं हेतु समय-सीमा निर्धारित

विभिन्न सेवाओं हेतु अधिकतम समय-सीमा निर्धारित

- दोषपूर्ण मीटर बदलना
  - शहरी क्षेत्र - 24 घंटे
  - ग्रामीण क्षेत्र - 72 घंटे
- पुनः कनेक्शन - 6 घंटे
- अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करना - 7 दिन
- मीटर परीक्षण - 30 दिन

समयबद्ध बिल वितरण

- देय तिथि से 10 दिन पूर्व
- 60 दिवस से अधिक देरी पर 2-5% तक की छूट

अन्य सेवाओं हेतु नियामक आयोग समय-सीमा निर्धारित करेगा

- अधिकतम से कम समय-सीमा निर्धारित हो सकती है
- अन्य सेवाओं जैसे नए कनेक्शन, मीटर हस्तांतरण आदि की समय-सीमा आयोग निर्धारित करेगा

अपने अधिकारों का प्रयोग करें

सेवाओं एवं शिकायतों हेतु स्थायी व प्रभावी तंत्र

- DISCOM 24x7 टोल फ्री कॉल सेंटर स्थापित करेंगे
- DISCOM "शिकायत निवारण फोरम" स्थापित करेंगे

अधिक जानकारी के लिए, स्कैन करें

हमसे संपर्क करें

www.powermin.nic.in

PRAMOD KUMAR SINGH
Digitally signed by PRAMOD KUMAR SINGH
Date: 2022.04.29 12:48:40 +05'30'